ठा० जयवीर सिंह
सदस्य विधान परिषद
(पूर्व कैबिनेट मंत्री उ०प्र०)

कार्यालय–निकट थाना बन्नादेवी जी.टी. रोड, अलीगढ़–202001 (उ0प्र0)
आवास:–4/67,किशोर नगर आई. टी. आई. रोड, अलीगढ़–202001 (उ0प्र0)
मो0:– 8005488959

पत्रांक 059 दिनांक:–09/11/2018

प्रतिष्ठा में

मा0 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी
भारत सरकार,नई दिल्ली

महोदय,

डा0 श्री आर0वी0 वर्मा अध्यक्ष/पू0 प्रधान, प्रधान कार्यालय उ0प्र0 अनुसूचित जाति/ पिछडी जाति विकास संस्थान जी0टी0 रोड,बोरना निकट हाईवे चौराहा,जनपद–अलीगढ़ के संलग्न प्रार्थनापत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।इस समिति को आज तक वित्त पोषित नही किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद

ठा0 जयवीर सिंह
पूर्व कैविनेट मंत्री
विधान परिषद सदस्य उ0प्र0

अध्यक्ष

ठा0 उपेन्द्र सिंह (नीटू)
(अध्यक्ष)
जिला पंचायत, अलीगढ़

0571-2701789 (कार्या.)
9412416681 (मोबाइल)

पत्रांक.......... दिनांक 05/11/2013

प्रतिष्ठा में,

(डा0थावर चन्द्र गहलोत जी)
माननीय मंत्री महोदय,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन-नई दिल्ली।

महोदय,

कृपया श्री आर0बी0वर्मा अध्यक्ष/ पूर्व प्रधान, प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ पिछड़ी जाति विकास संस्थान जी0टी0रोड बोरना निकट हाईवे चौराहा,पोस्ट पनैठी जनपद अलीगढ़ के प्रार्थना पत्र को मूल रूप में संलग्न कर आपके पास भेजा जा रहा है। कृपया संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें श्री आर0बी0वर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके मंत्रालय की स्कीनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 26.27 /09/2013 में चार संस्थाओं के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति(संस्था) पता जी0टी0रोड बोरना निकट हाईवे चौराहा पो0-पनैठी अलीगढ़ को वित्त पोषित नहीं किया गया है। आपके विभाग में प्रेषित पत्रावली संख्या-11020/55/2008 एस0सी0डी0 111 कार्यालय में लम्बित है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त संस्था को वित्त पोषित कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ठा0उपेन्द्र सिंह,)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत,अलीगढ़।

योगेश कुमार उपाध्याय
YOGESH KUMAR UPADHYAY

सत्यमेव जयते

अतिरिक्त निजी सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
Addl. PRIVATE SECRETARY TO
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

Dy. No. 167908 /PS/M(SJ&E)
Dated 5/11/18

आदरणीय श्रीमती अंशु नागपाल जी,

उत्तर प्रदेश की भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति को अनुदान राशि स्वीकृत कराये जाने के संबध में आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति विकास, भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

सादर,

आपका

(योगेश कुमार उपाध्याय)

श्रीमती अंशु नागपाल,
चेयरपर्सन,
नगर पालिका परिषद, गजरौला
13 माल गोदाम रोड़,
मो. शिवपुरी, गजरोला,
जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश ।

202, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115. 202, "C" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110115
फोन / Tel. : 91-11-23381001, 23381390, फैक्स / Fax : 91-11-2338....

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

Dy.No. 167769 /VIP/M(SJ&E)2018

कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-2338190
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्स: 011-2338190
ई-मेल: min-sje@nic.in

2- नवम्बर, 2018

आदरणीय श्री देवेन्द्र नागपाल जी,

कृपया अपने पत्र दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश की भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति को अनुदान राशि स्वीकृत कराये जाने के संबंध में उल्लेख किया है ।

आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

सादर,

आपका
2.11.18
(डॉ. थावरचन्द गेहलोत)

श्री देवेन्द्र नागपाल,
पूर्व सांसद (लोक सभा),
13 माल गोदाम रोड़, मौ. शिवपुरी,
गजरौला, जिला अमरोहा
उत्तरप्रदेश ।

अध्यक्ष

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्स: 011-23381902
ई-मेल: min-sje@nic.in

Dy.I. 167914 /M(SJ&E)/2018
Dated 5 नवम्बर, 2018

आदरणीय ठा. रवेन्द्र पाल सिंह जी,

कृपया अपने पत्र दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश की भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, पता जी.टी. रोड़ बोराना, पनैठी, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को अनुदान राशि स्वीकृत कराये जाने के संबध में उल्लेख किया है ।

आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

सादर,

आपका
2.11.18
(डॉ. थावरचन्द गेहलोत)

ठा. रवेन्द्र पाल सिंह,
विधायक,
उत्तर प्रदेश विधान सभा,
संजय कॉलोनी, (ठाकुर कम्पाउन्ड)
न्यू एटा चुंगी, जी.टी रोड़, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।

अध्यक्ष

राजवीर दिलेर

विधायक
77, इगलास (अलीगढ़)
सदस्य- उ०प्र० अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति व विमुख जाति

स्व0 श्री किशन लाल दिलेर
पूर्व सांसद/विधायक
22-23, ब्रज विहार, ADA कॉलोनी
निकट सुरक्षा विहार, जी. टी. रोड
अलीगढ़ - 202001
मो0 8887150877, 9411[illegible]

पत्रांक 5399

दिनांक 01 / 11 / 2018

प्रतिष्ठा में,

मा0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी
भारत सरकार नई दिल्ली।

मान्यवर,

आपको अवगत कराना है कि आपके मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 26,27 सितम्बर 2013 में चार संस्थाओं के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोदय विकास समिति(संस्था) को आज तक वित्त पोषित नही किया गया है जो कि एस0सी0डी0--तृतीय कार्यालय में लम्बित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संस्था को वित्त पोषित कराने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(राजवीर दिलेर)
विधायक

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोदय विकास [illegible]
अध्यक्ष

रामजी लाल सुमन

सांसद (लोक सभा) फिरोजाबाद, उ.प्र.

राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी पार्टी
उपनेता, समाजवादी पार्टी संसदीय दल
सदस्य, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
सदस्य, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
सदस्य, लोक सभा की कार्य मंत्रणा समिति
सदस्य, उत्तर मध्य रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति
सदस्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्बन्धी स्थायी समिति
सदस्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति
सदस्य, भारत सरकार की क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति

सत्यमेव जयते

3, फिरोजशाह रोड
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष (011) 23782642
टेली फैक्स (011) 23782208

1/1, राजपुर पैलेस
आगरा (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष (0562) 2851088, 2524535
email : rsuman@sansad.nic.in

Ref. No. RLS/VIP/07/239

30 अगस्त, 2007

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी,

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद (उ.प्र.) के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करें।

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि समिति का एक प्रस्ताव उ.प्र. शासन से स्वीकृत कर आपके मंत्रालय को दिनांक 28 जून, 2007 को भेजा था तब से पत्रावली मंत्रालय के समक्ष लंबित है। कृपया उक्त समिति के प्रस्ताव को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

(रामजी लाल सुमन)

श्रीमती मीरा कुमार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

अध्यक्ष

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्स: 011-23381902
ई.मेल: min-sje@nic.in

E-Office 23902
Dated 6/9/17

आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी,

कृपया अपने दिनांक 14.8.2017 तथा 27 अगस्त, 2017 के पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्धोग विकास समिति एटा (उ0प्र0) तथा अन्य अलग- अलग राज्यों सहित चार प्रस्तावों को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुदान हेतु स्वीकृत किया गया था, के उपरान्त भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्धोग विकास समिति एटा (उ0प्र0) अनुदान निर्गत नहीं किया गया, जबकि अन्य तीन प्रस्तावों को अनुदान निर्गत कर दिया गया है, का उल्लेख किया है।

उपरोक्त संदर्भ में आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एससीडी डिवीजन) को भेज दिया गया है। सादर,

आपका,
5.9.17
(डॉ0 थावरचंद गेहलोत)

श्री राजवीर सिंह
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, (उ0प्र0)
संसद सदस्य (लोक सभा)
31, पं0 रवि शंकर शुक्ल लेन,
नई दिल्ली।

अध्यक्ष

राजवीर सिंह (राजू भैय्या)
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री (उ.प्र.)
संसद सदस्य,
लोक सभा
22-एटा (उ.प्र.)
सदस्य - उद्योग संबंधी स्थायी समिति
: कृषि मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति
: अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट

31-पं. रवि शंकर शुक्ला लेन
नई दिल्ली-110001
टेलीफैक्स : 011-23782931
मो. : 9756077777, 9013869425
ईमेल : mpetahrajveersingh@gmail.com

ए-10, राजपैलेस, प्रगति विहार
मैरिस रोड, अलीगढ़-202001
फोन : 0571-2504040

27 / 08 / 2017

श्रीमान् डा0 थावरचन्द्र जी गहलौत,
माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।
मान्यवर,

आपको अवगत कराना है कि आपके मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 26,27 सितम्बर 2013 मे चार संस्थाओं के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति(संस्था) को अभी तक वित्त पोषित नहीं किया गया है। जो कि [illegible] कार्यालय में लम्बित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त संस्था यदि पात्र है तो [illegible] कराने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

राजवीर सिंह(राजूभैया)

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
1 - अगस्त - 17

उ0 प्र0 सरकार द्वारा (रजि0)
स्थापित वर्ष दिनॉक 06-01-1990 (1989-90)
पंजीयन सं. - 1427
कार्यक्षेत्र - उ0प्र0 एवं भारत वर्ष
मो0 7060247221, 8979543081

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

[illegible], जनपद-एटा द्वारा संचालित

प्रधान - कार्यालय
उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान
जय नरायन वर्मा रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद (उ.प्र.)

पत्रांक 645 दिनांक 24/8/017

To,

Shri B. L Meena,
Joint Secretary (SCD-III)
Ministry of Social Justice and Empowerment,
(Department of Social Justice and Empowerment),
Wing, Shastri Bhavan, New Delhi- 110001.

Subject:--Release of financial assistance to Non-Governmental Organization, Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh under the scheme of welfare of Scheduled Castes - F. No. 11020/55/2008- SCD-III

Hon-ble Sir,

I beg to submit the following facts for your kind consideration and necessary action in the matter:-

1. The proposal of the organization, Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh was approved/recommended by the project sanctioning Committee of Government of Uttar Pradesh and forwarded to the Ministry alongwith their recommendation and inspection report during the year, 2008 for release of financial assistance to implement the following programmes for Scheduled Caste in 50 (Fifty) District under the scheme of assistance of voluntary organizations working for the welfare of Scheduled Castes.

(i) Computer training.
(ii) Beauty Parlor
(iii) Cutting tailoring
(iv) Non - residential school.
(v) Carpentry

US (SCD III)

आर. बी. [illegible]
अध्यक्ष
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
[illegible]

(vi) Mobile dispensary
(vii) 25 bedded hospital.

2. The Govt. of Uttar Pradesh had clarified the all queries/observations raised by the Ministry with regard to functioning of the above organization. In this regard, the State Govt. of Uttar Pradesh has submitted all requisite papers/documents as required by SCD-III Section.

3. The proposal of the Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh was placed at Sl.No. 288 before the project Sectioning/ Screening Committee of the Ministry in its meeting held on 9th & 10th July, 2010 and rejected on the grounds that the Registration Certificate of the organization was valid upto 06-01-2010 and the inspection report was five year old. In this regard, the organization had clarified that the Registration Certificate of the organization was valid up to 5th January, 2015 w.e.f 06-01-2010 for a period of five years whereas inspection report was 2 (two) years old.

4. As per the observation of the Ministry, the state Government of Uttar Pradesh had again forwarded all papers/ documents of the organization vide letter dated 30th January, 2015 for consideration for release of grant in aid.

(vi) In view of the position explained above, It is therefore requested that the cocerned Joint Secretary may be directed to consider our proposal and release the Grant in Aid /financial assistance as per the provision of the scheme of assistance to voluntary organizations working in the Scheduled for implementation of the 7 (seven) programmes in 50 Districts.

Yours Faith fully

(Ram Babu Verma)
president

आर बी वर्मा
अध्यक्ष

राजवीर सिंह (राजू भैय्या)
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री (उ.प्र.)
संसद सदस्य,
लोक सभा
22-एटा (उ.प्र.)
सदस्य : उद्योग संबंधी स्थायी समिति
: कृषि मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति
: अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट

सत्यमेव जयते

31-पं. रवि शंकर शुक्ला लेन
नई दिल्ली-110001
टेलीफैक्स : 011-23782931
मो. : 9758077777, 9013869425
ईमेल : mpetahrajveersingh@gmail.com

ए-10, राजपैलेस, प्रगति विहार
मैरिस रोड, अलीगढ़-202001
फोन : 0571-2504040

14/08/2107

माननीय सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

मान्यवर,

संलग्न प्रार्थना–पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्राम ओद्योगिक विकास समिति गठन को वित्त घोषित हेतु एस0ई0डी0–3 कार्यालय में लम्बित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संस्था को वित्त घोषित करने हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय

राजवीर सिंह(राजूभैया)

Received on
24 AUG 2017
O/o M (SJ & E)

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 198-900 /स0क0/अनुदान/जनसुनवाई/2018-19

लखनऊ, दिनांक : 10 जुलाई, 2018

श्री आर0बी0 वर्मा पूर्व प्रधान,
अध्यक्ष,
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग समिति,
लोया बादशाहपुर, पोस्ट खास,
जनपद एटा।
प्रधान कार्यालय उ0प्र0 अनुसूचित जाति/
पिछडी जनजाति विकास संस्थान बाबू जी मार्केट
वैष्णोंधाम के सामने एटा चुंगी जी0टी0 रोड अलीगढ।

विषय–अराजक तत्वों द्वारा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति (उक्त समिति) के नाम से धोखाधडी के अन्तर्गत शिक्षित समाज के युवकों युवतियों के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 23.04.2018 का संदर्भ लें, जो मा0 प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय को सम्बोधित एवं मा0 केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, सचिव, नीति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 लखनऊ, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, को पृष्ठांकित तथा जनसुनवाई, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उ0प्र0 में दर्ज सन्दर्भ संख्या–15143180127076 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आपके उक्त पत्र दिनांक 24.08.2018 द्वारा उक्त प्रकरण की जॉच कर अराजकता तत्वों के प्रति कार्यवाही किये जाने एवं अध्यक्ष की सुरक्षा हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रति आप द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण विभाग से संबंधित न होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें।

TRUE COPY ATTESTED
to Produced before me.
NOTARY PUBLIC

(पी0सी0 उपाध्याय)
अपर निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग–2 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सन्दर्भ संख्या–15143180127076 को निक्षेपित करवाने का कष्ट करें।

2– नोडल अधिकारी, जनसुनवाई, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश मुख्यालय।

अध्यक्ष

(पी0सी0 उपाध्याय)
अपर निदेशक।